

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 16-12-2016

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम - 28बी के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	रिक्ति की तिथि
1.	सुरेशकुमार चावला/सूरजमल (अजा)	01/07/1959	01/06/2016
2.	हेताराम चौहान	03/05/1960	01/07/2016
3.	हनुमान सिंह राठौड़	02/07/1972	01/07/2016
4.	साधूराम जाट/ गणेशाराम	02/09/1962	01/07/2016
5.	रतनलाल योगी/ अमीलाल	06/08/1966	01/07/2016
6.	रामचन्द्र पचार/ शेराराम	13/05/1957	01/07/2016
7.	उम्मेदसिंह/ मिठ्ठूसिंह	14/04/1965	01/08/2016
8.	रामसुख गुर्जर/ देवाराम	30/06/1963	01/08/2016
9.	काशीराम चौहान (अजा)	17/05/1961	01/08/2016
10.	श्योराम वर्मा (अजा) (सामान्य रिक्ति के विरुद्ध)	08/05/1964	01/08/2016
11.	भंवरलाल कांसोटिया (अजा) (सामान्य रिक्ति के विरुद्ध)	07/07/1961	01/08/2016
12.	शारदा चौधरी/ चन्द्र चौधरी	15/08/1977	17/08/2016
13.	जनक सिंह/ जगदेव सिंह	12/11/1964	01/09/2016
14.	कैलाश चन्द-II/ सीताराम	01/06/1959	01/09/2016
15.	राजेन्द्र कुमार गोयल/ रघुनाथ प्रसाद	06/12/1957	01/09/2016
16.	गोरीशंकर/ विनोद शंकर	27/11/1964	01/10/2016
17.	मूल सिंह राजावत/ राम सिंह	05/05/1957	01/10/2016
18.	ओमप्रकाश शर्मा/ रेवतीप्रसाद	13/12/1960	01/11/2016
19.	सुमनदेवी/ सुरेन्द्र कुमार	15/07/1982	01/01/2017
20.	प्रमोद कुमार सिंघव/ नन्द किशोर	06/09/1960	01/01/2017

सर्वश्री संदीप कुमार/राजपाल, सुरझानीलाल मीणा/चिरंजीलाल(अजजा), जगनलाल मीणा/नारायण लाल(अजजा), सुनील कुमार/करतार सिंह, प्रदीप कुमार/नन्दलाल, धर्मराज गुर्जर/भाताराम, गजेन्द्र गोयल/प्रेमचन्द एवं कृष्णदत्त पाण्डेय/रामदयाल के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है।


निम्नलिखित अधिकारियों का सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति इनके लिए पद रिक्ति रखे जाने की अभिशंषा करती है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)
1.	शिवदयाल/मल्लाराम (अजा)
2.	बनवारी लाल/ रामचरण (अजा)
3.	हरेन्द्र सिंह चौहान/ गणपत सिंह

Arvind


सर्व श्री भंवरलाल कांसोटिया (अजा) एवं श्री प्रमोद कुमार सिंघव के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं। शेष पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
विशेषाधिकारी
फोन नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 16-12-2016


आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-28बी के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में श्री सुरज्ञानीलाल मीणा (अजजा) के विरुद्ध सीसीए नियम-17 में आरोप पत्र दिनांक 21.04.2016 लम्बित होने के कारण इनका प्रकरण सीलबन्द लिफाफे में रखा गया।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 29.11.2016 के द्वारा श्री सुरज्ञानीलाल मीणा को भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी देते हुये उक्त विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप श्री सुरज्ञानीलाल मीणा के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री सुरज्ञानीलाल मीणा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री सुरज्ञानीलाल मीणा (अजजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम सुरेश कुमार चावला (अजा) के ऊपर जोड़ा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पोसवाल)

विशेषाधिकारी

फोन नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी